

# राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर (राज.) ।

## ट्रेडमैन शॉप

क्र.सं.		धारा 4(1)(ख) के तहत 17 श्रेणियों का विवरण
1.	संगठन का विवरण अनुभाग ।	राजस्थान पुलिस अकादमी ट्रेडमैन शॉप
2.	अधिकारियों/ कर्मचारियों के कर्तव्य एवं शक्तियाँ ।	(क) सहायक निदेशक (प्रशासन) – पर्यवेक्षण एवं अन्य उत्तरदायित्वों का सम्पादन । (ख) हैड कानि. –ट्रेडमैन शॉप प्रभारी एवं रख-रखाव सम्बन्धी कार्यों का सम्पादन । (ग) अन्य संकाय सदस्य-06 – संकाय के सदस्यों का हेतु निर्धारित कार्य:-अपनी-अपनी ट्रेड के अनुसार मोची, नाई, धोबी और दर्जी का कार्य ।
3.	निर्णय बनाने के लिए प्रक्रिया ।	सहायक निदेशक(प्रशासन) के एवं समुचित माध्यम द्वारा प्रस्ताव प्रेषित कर निदेशक महोदय के अनुसार निर्णय किये जाते हैं ।
4.	कार्यों के निर्वहन के लिए मानदण्ड ।	नियमानुसार ट्रेड मैन शॉप के कार्यों निर्वहन के मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए तथा इस संबंध में जारी की गई एसओपी के द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार कार्य सम्पादन किया जाता है । का सम्पादन ।
5.	कार्यों के निर्वहन के लिए नियम, विनियम ।	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ RSR, RPR &amp; Other Circular Issued By PHQ</li> <li>➤ प्रशिक्षण निदेशालय, निदेशक आरपीए, उप निदेशक एवं प्राचार्य, आरपीए, द्वारा जारी नियम, विनियम, परिपत्रों के अनुसार कार्यों का सम्पादन ।</li> <li>➤ ट्रेड मैन शॉप की जारी मानक कार्य प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) में निहित निर्देश ।</li> <li>➤ समय-समय पर जारी अन्य विनियम ।</li> </ul>
6.	श्रेणियों का विवरण ।	1. ट्रेडमैन उपस्थिति पंजिका । 2. एस.ओ.पी. के सम्बन्ध में पत्रावली ।
7.	बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण ।	लागू नहीं ।
8.	परामर्शदात्री समितियां अन्य निकायों का विवरण ।	लागू नहीं ।
9.	अधिकारियों/कर्मचारियों की निर्देशिका ।	सहायक निदेशक (प्रशासन), फो0 नं0 0141 – 2302633 पी.बी.एक्स नं. 504.
10.	अधिकारियों/कर्मचारियों के मासिक पारिश्रमिक ।	लेखा शाखा ।
11.	बजट प्रत्येक एजेन्सी को आवंटित ।	लेखा शाखा ।

12.	सब्सिडी कार्यक्रम के निष्पादन।	लागू नहीं।
13.	रियायतें, परमिट पाने वाले का ब्यौरा।	लागू नहीं।
14.	एक इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध सूचना।	राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर की बेवसाईट पर उपलब्ध।
15.	नागरिकों को उपलब्ध सुविधाएं।	लागू नहीं।
16.	लोक सूचना अधिकारियों के नाम एवं पदनाम विशिष्टताएं।	सहायक निदेशक (प्रशासन) लोक सूचना अधिकारी एवं निदेशक आरपीए प्रथम अपील अधिकारी।
17.	ऐसी अन्य सूचनाएं।	विभाग द्वारा समय-समय पर सम्बन्धित सूचनाओं को प्रकाशित किया जाता है।